

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन 456001 (म.प्र.)

सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन (उज्जैन केम्प) कार्य हेतु चतुर्थ
(अल्पकालीन) ई-निविदा

क्रमांक/उ.दु.सं./क्षे.सं./परिवहन ई-निविदा/2021/3955/25.10.2021

ई-निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड उज्जैन – 456001 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734-2527063

E-mail : ujjaindairy@gmail.com, udsfo123@gmail.com

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़ उज्जैन 456001 (म.प्र.)
फोन नं. (0734) 2527061, 2527068, 2527066
फेक्स नं. 0734-2527063

E-Mail: ujjaindairy@gmail.com, udsfo123@gmail.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / ई-निविदा / 2021 / 3955 / 25.10.2021

सुदाना पशु आहार एवं अन्य सामग्री परिवहन (उज्जैन केम्प) हेतु चतुर्थ अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

1.	निविदा कार्य- सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य वर्ष 2021-24 बाबत	
2.	ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रु. 500/- (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र)
3.	अमानत राशि	राशि रु. 10000.00 अक्षरी रु. (दस हजार रु.) ऑनलाईन द्वारा भुगतान करना है।
4.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 26.10.2021 प्रातः 11:00 बजे से
5.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 01.11.2021 दोपहर 12:00 बजे तक
6.	भौतिक रूप से प्रपत्र (लिफाफा) जमा करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 02.11.2021 दोपहर: 12:30 बजे तक
7.	तकनिकी बीड भौतिक एवं ऑनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 02.11.2021 दोपहर: 1:00 बजे
8.	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन- 456001(म.प्र.)

- नोट :-**
- ई- निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
 - निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।
Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454 / 18002748484 पर संपर्क करें।
 - जिन वाहन स्वामी के पास वाहन मॉडल 2016 या बाद के है वे वाहन स्वामी निविदा में भाग ले सकते है, साथ ही वाहन ठेकेदारों के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं होने से वाहन क्रय करने का नोटरी से 100 रु. के मूल शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।
 - समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखें।

1 उप महाप्रबंधक (क्षे.सं.)

2. महाप्रबंधक (सं.सं.)

3. सहा.महाप्रबंधक (एमआईएस)

4 सहा. महाप्रबंधक (वित्त)

5. प्रभारी प्रबंधक (क्रय)

6. प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) केम्प उज्जैन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

:: उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित मक्सी रोड़ उज्जैन ::
सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन प्रस्तुत करने हेतु नियम व शर्तें ::

1. (अ) सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन ई-निविदा के साथ ई.एम.डी. राशि **रूपये 10000.00 (दस हजार रूपये)** ऑनलाईन भुगतान करें तथा उसकी प्रति लिफाफे में रखकर सील बंद करना है। इस लिफाफे के ऊपर पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन ई-निविदा हेतु सुरक्षा राशि तथा निविदाकार का नाम, पता, मोबाईल नं. अनिवार्यतः रूप से अंकित किया जावे। लिफाफा दिनांक 02.11.2021 को सुबह 12.30 बजे तक निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जमा ई.एम.डी. राशि **रु. 10,000.00** की ऑनलाईन की छायाप्रति निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा के प्रस्ताव को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।
(ब) निविदाकार को निर्धारित प्राइज बिड में दर प्रस्तुत करना होगी।
(स) निविदा डबल निविदा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) बंद के आधार पर बुलाई जा रही है।
(द) निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र **रु. 500.00 (पांच सौ)** ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा अस्वीकृत होने पर ई.एम.डी की राशि छह: माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदा में उल्लेखित दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों अलग-अलग लिखी जावे, किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा।
4. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्यालयनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध **रु. 1000.00 (एक हजार रु. मात्र)** के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नहीं किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर निर्धारित अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट, जो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के नाम से एवं उज्जैन में देय हो, जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण अमानत राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण ई.एम.डी राशि जप्त कर ली जावेगी।
6. अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है।
(अ) आयशर वाहन क्षमता 5 टन राशि **रु. रूपये 1,25,000.00**
7. ई.एम.डी. एवं अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
8. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) दुग्ध समितियों को प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री की प्राप्ति सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर सील सहित तथा मार्ग पर्यवेक्षक प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) को प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित प्रारूप पर देयक बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम एवं पते की

सील तथा पेन नं. होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 30/31 तक किया जावेगा।

9. सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता को कम से कम प्रत्येक कार्य दिवस 100 से 125 (वाहन क्षमता अनुसार) बेग पशुआहार मांग अनुसार परिवहन कार्य करना होगा।
10. अनुबंध की अवधि तीन वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने के बाद आगामी एक-एक वर्ष (अधिकतम 02 वर्ष) की वृद्धि की जा सकेगी।
11. निम्न परिस्थितियों में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।
 - (अ) सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देश एवं अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर।
 - (ब) सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता को अनुबंध अवधि में पशु आहार परिवहन कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर।
12. परिवहनकर्ता को अनुबंध में नामिनी घोषित करना होगा, वितरक की मृत्यु की स्थिति में नामिनी संघ की शर्तों को मान्य करने की स्थिति में पशुआहार परिवहन कार्य अनुबंध अवधि तक संचालित किया जा सकता है।
13. परिवहनकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के पूर्व रुपये 1000/- के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर में निर्धारित अनुबन्ध तथा सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। सुरक्षा निधि में प्रतिभूति राशि समायोजित की जा सकेगी।
14. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए। अस्पष्ट, कटी-फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
15. निविदाकार को अनुबंधित वाहन का ही उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण-पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने होंगे।

16. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।
17. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबूझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा ई.एम.डी. राशि जप्त कर लें। उज्जैन दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत पृथक से शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।
18. अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईंधन के रूप में अन्य कोई (घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस) उपयोग वर्जित माना जावेगा।
19. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाइसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
20. वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन ही निविदा हेतु प्रस्तुत की जावे।
21. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई इसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौती का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।
22. वाहन ठेकेदार को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताएँ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने तथा संघ हित एवं राष्ट्र हितों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से किया गया कार्य बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। वाहन ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त कर दे एवं अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। जिस हेतु वह सहमत होगा।
23. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।

24. सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन के अनुबंधित वाहन पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये। अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड किया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौती भी किया जावेगा।
25. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पेन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौती किया जावेगा।
26. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं उनकी निविदा तकनिकी बीड में ही सीधे निरस्त कर दी जावेगी।
27. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबद 100.00 रु. का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।
28. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम या अधिक (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
29. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लैक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।
30. वाहन के कि.मी. का सत्यापन लांजीट्यूट लेटीट्यूट के आधार पर ही मान्य किया जावेगा।
31. म.प्र राज्य की 3.5 MSME इकाइयों को निविदा में EMD जमा करने पर नियमानुसार छूट दी जाएगी। नई एसपीआर दिनांक 21.10.2020 खंड संख्या 10.01 के अनुसार
32. किसी भी स्थिति में न्यायालयीन कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

दुग्ध संघ सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन निविदाकार के मध्य पशुआहार परिवहन हेतु किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

अनुबंधकर्ता
का फोटो

1000/—रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया, जिसका द्वितीय पक्ष (निविदाकार)श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती से है एवं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन केम्प के कार्यक्षेत्र में सुदाना पशुआहार सहकारी समितियों के संग्रहस्थल तक सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन करने वास्ते द्वितीय पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांकमॉडल..... ने प्रथम पक्षकार (उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन) को निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन (समस्त कर एवं टोल टेक्स सहित) दर राशि रूपये ----- अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी. अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

01. (अ) यह ठेका अवधि दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 30.11.2024 (तीन वर्ष) तक प्रभावशील रहेगी।
(ब) अनुबंध प्रथम वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
(स) अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह ओर बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
02. इन शर्तों को सुदाना पशुआहार परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन माना जावेगा।
03. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, घी, मिनरल मिक्सचर, कॉफ स्टार्टर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगाने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि समान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान निर्धारित समय में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

04. निर्धारित समय में संस्थाओं को सुदाना पशुआहार परिवहन कार्य करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता एवं निर्धारित मॉडल के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में दुग्ध समिति/गन्तव्य स्थान पर वाहन के समय पर नहीं पहुँचने की स्थिति में सुदाना पशुआहार/अन्य समान खराब होने पर जो हानि होगी द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन सुदाना पशुआहार परिवहन कार्य हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा।
05. सुदाना पशुआहार परिवहन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण पशुआहार/अन्य समान खराब हुआ तो हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
06. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले पशुआहार/अन्य समान की हानि पर समस्त राशि का कटौती द्वितीय पक्षकार से किया जावेगा।
07. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा पशुआहार एवं अन्य समान की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति से वसूल की जा सकेगी।
08. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में पशुआहार परिवहन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करने हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को पशुआहार परिवहन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसुली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
09. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
10. संघ से प्रदत्त पशुआहार एवं अन्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार करने की नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसुली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

11. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा। उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
12. द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
14. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्गपर्यवेक्षक/प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के पशुआहार परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत कर लें। यदि कटौत शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियम अनुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को कालीसूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। कालीसूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा।
15. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर/लाईट एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये, जिससे संघ द्वारा प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री खराब न हो पशुआहार एवं अन्य सामग्री खराब होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।
16. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी पशुआहार एवं अन्य सामग्री में गड़बड़ी, हेराफेरी, पशुआहार बेग में से पशुआहार या अन्य सामग्री निकालने पर राशि रू. 10000.00 का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ करते पाए जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि पशुआहार या अन्य सामग्री में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
17. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
18. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं न ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष

जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।

19. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
20. सुदाना पशुआहार वाहन से समिति स्तर या अन्य स्थान पर पशुआहार एवं अन्य सामग्री उतारने की व्यवस्था जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। दुग्ध समिति पर पशुआहार एवं अन्य सामग्री अनलोडिंग द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।
21. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
22. सुदाना पशुआहार वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनाएँ पशुआहार एवं अन्य सामग्री विक्रय हेतु नहीं है एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
23. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
24. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
25. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. संबंध उम्र को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
26. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
27. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएँ जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में

देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा। उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जावेगा।

29. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर द्वितीय पक्ष देगा।
30. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
31. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ द्वारा पशुआहार अन्य सामग्री की प्राप्ति संलग्न कर संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 30/31 तक किया जावेगा।
32. संघ द्वारा दुग्ध समितियों से प्राप्ति एवं अन्य सामग्री भेजी जाती है तो उसकी प्राप्ति संघ कार्यालय में संबंधित शाखा में जमा करें, अन्यथा की स्थिति में सामग्री राशि के साथ पेनल्टी लगाई जावेगी जिसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
33. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
34. संघ द्वारा प्रदाय हेतु पशुआहार की मांग द्वितीय पक्षकार को प्रतिदिन प्रातःकाल में दी जावेगी। वाहन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था द्वितीय पक्षकार द्वारा उसी दिवस में गन्तव्य स्थान पर उसी दिवस में सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री पहुँचाना होगा अन्यथा की स्थिति में आर्थिक दण्ड किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
35. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में प्रतिदिन भाव तय किये गये हैं अतः प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक के प्रतिदिन की डीजल दरों की औसत दर के आधार पर आगामी प्रत्येक माह की दिनांक 16 से 30/31 तक की औसत दर प्रभावशील रहेगी तथा दिनांक 16 से 30/31 के डीजल की दरों की औसत के आधार पर आगामी माह की दिनांक 01 से 15 तक की डीजल की औसत दरें प्रभावशील रहेगी। लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक**वाहन का प्रकार****औसत प्रति लीटर**

01.

आयशर 5 टन क्षमता

08 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी प्रति कि.मी. से की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

36. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
37. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा, किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर पशुआहार मांग अनुसार पशुआहार प्रदाय किया जाना होगा।
38. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्वयं सत्यापित की छाया प्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।
39. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम छह: माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
40. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो एवं निरंतर पशुआहार/अन्य सामग्री का परिवहन कार्य किया जा सके।
41. संघ से प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री ले जाने पर यदि अनुबंधित वाहन से पशुआहार या अन्य सामग्री की चोरी या नुकसान आदि होता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्षकार से नुकसानी की भरपाई की जावेगी।
42. सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन वाहन को संघ कार्यक्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में बाहर भेजा जा सकता है। (उक्त मार्ग का टोल टेक्स अतिरिक्त दिया जावेगा)
43. प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह लगभग 2500 कि.मी. द्वितीय पक्ष से वाहन संचालित करवाया जावेगा इस हेतु द्वितीय पक्ष प्रतिदिन पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु संघ के कर्मचारी अधिकारियों से निरंतर सम्पर्क करेगा।

44. द्वितीय पक्ष द्वारा पशुआहार परिवहन वाहन पर **GPS System** लगवाना आवश्यक होगा, साथ ही इसका मासिक एवं रखरखाव का व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा, यदि द्वितीय पक्ष द्वारा **GPS System** नहीं लगवाया जाता है तो प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** लगवाया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जावेगा।

45. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंधशर्तों का अवलोकन भलीभाँति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

(प्रथम पक्ष)

(द्वितीय पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ

नाम _____

मर्यादित, उज्जैन

पिता/पति का नाम _____

पता _____

दूरभाष क्रं. _____

मोबाईल नम्बर _____

स्थायी लेखा संख्या पेन _____

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

01. हस्ताक्षर _____

01. हस्ताक्षर _____

नाम _____

नाम _____

पता _____

पता _____

मो0 नं. _____

मो0 नं. _____

आई.डी. प्रूफ _____

आई.डी. प्रूफ _____

आधार कार्ड _____

आधार कार्ड _____

02. हस्ताक्षर _____

02. हस्ताक्षर _____

नाम _____

नाम _____

पता _____

पता _____

मो0 नं. _____

मो0 नं. _____

आई.डी. प्रूफ _____

आई.डी. प्रूफ _____

आधार कार्ड _____

आधार कार्ड _____

नोट:- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) उज्जैन

प्रारूप

काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ-पत्र 100.00 रु. के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प (नोटरी द्वारा)

मैंआत्मज..... उम्र..... निवासी.....
शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि –

1. यह की मैं शपथकर्ता उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन (म.प्र.) में सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन प्रस्तुत कर रहा हूँ की मैं उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (म.प्र.) के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से मेरा पारिवारिक संबंध नहीं है।
2. यह की मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा। उसे मानने के लिये बाध्य रहूंगा तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा।
3. यह की मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं हूँ। तथा मुझे कभी भी ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में सम्मिलित नहीं किया गया है।
4. यह की मेरे द्वारा उक्त कथनों की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक –

स्थान –

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उक्त शपथ पत्र के चरण क्रमांक 01 से 04 में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को किया गया।

दिनांक –

स्थान –

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा)
नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र (100.00 रू. के
नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प) का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____
आधार नं. :- _____
मोबाईल नं. :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन की निविदा जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा समय-सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन ई-निविदा हेतु तकनीकी योग्यता
(नोट :- निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे)

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

निविदा
प्रस्तुतकर्ता
का फोटो

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय की सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु चतुर्थ (अल्पकालीन) ई-निविदा क्रमांक 3955 दिनांक 25.10.2021 पढ़ ली है। तदनुसार यह ई-निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूँ। ईएमडी राशि रूपये 10,000.00 अक्षरी रु. (दस हजार) ऑनलाईन जमा की है तथा उसकी मूल प्रति स्केन कर ई-निविदा के साथ अपलोड कर रहा हूँ। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊँगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

01-वाहन स्वामी का नाम पिता का नाम वारिस
..... उम्र संबंध

02-वाहन का प्रकार.....वाहन क्रमांक.....मॉडलवर्ष.....पेन नं.....

03-वाहन का पंजीयन क्रमांक.....वाहन क्षमता.....
भार क्षमता मेटन 5 टन

04-सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन संघ कार्यक्षेत्र तथा संघ कार्यक्षेत्र से बाहर परिवहन कार्य हेतु।

05-अवधि दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 30.11.2024 तक तथा आपसी सहमति से एक-एक वर्ष कर अधिकतम 02 वर्ष अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता हूँ।

06-यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित 100.00 रु. के स्टाम्प पर नोटरी से मूल शपथ-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

07-वाहन टेकेदार को अपने पेन नम्बर दर्शाते हुए शपथ पत्र आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के तहत यह भी देना होगा की उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ट्रांसपोर्ट व्यापार में 10 से अधिक वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

08-क्रमांक 02, 03, 06, 07 08 एवं 09 से संबंधि वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, पेन कार्ड, ऑनलाईन जमा अर्नेस्टमनी की रसीद निविदा प्रपत्र के साथ स्केन कर अपलोड करें एवं जमा अर्नेस्टमनी की मूल प्रति एवं स्केन किये गये प्रपत्रों की छायाप्रति भौतिक रूप से बंद लिफाफे में संघ कार्यालय में जमा करावें। जिनके नाम से वाहन पंजीकृत है उनका पासपोर्ट साईज का फोटो भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

09-मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी दुग्ध संघ द्वारा/शासकीय संस्थाओं द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

नोट :- वर्ष 2016 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 09 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्तें एवं नियम मान्य हैं, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।
निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकारपूरा नाम _____
पता _____
पेन न. _____ मोबाइल नम्बर _____
आधार न. _____

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

01----- 02 ----- 03----- 04 ----- 05 ----- 06-----